



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-11

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 253952 दिनांक 23/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Har Pyari W/o Raghbir	श्री रामप्रकाश शर्मा पुत्र श्री पांचूराम शर्मा एवं श्री हनुमान सहाय शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा	7	200.00 SQ. YARD	Private	PRIM PROVINC E	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना प्रिम प्रोविन्स के भूखण्ड संख्या सी-7 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज की लीजडीड श्री रामप्रकाश शर्मा पुत्र श्री पांचूराम शर्मा एवं श्री हनुमान सहाय शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा के नाम से दिनांक 10.09.2014 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री रामप्रकाश शर्मा एवं श्री हनुमान सहाय शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.12.2017 के



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वारा श्री
हनुमान सहाय
शर्मा पुत्र स्व.
श्री मोती लाल
शर्मा को कर
दिया गया।
तत्पश्चात श्री
हनुमान सहाय
शर्मा द्वारा
उक्त भूखण्ड का
बेचान जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
13.12.2024 के
द्वारा श्रीमती
हरप्यारी पत्नी
श्री रघुवीर को
कर दिया गया।
आवेदिका
श्रीमती हरप्यारी
द्वारा उक्त
भूखण्ड का नाम
हस्तान्तरण एवं
लीज होल्ड से
फ्रंी होल्ड
लीजडीड जारी
किये जाने हेतु
आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Har Pyari W/o Raghubir को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।